

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही पर इन्शायल पत्र

25-7-23

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व द्वारा 151 जा. पी० पर बहस सुनी गयी। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 3.8.23 को पेश है। आगामी दिनांक तक जारी अस्पष्ट निषेधाज्ञा बहाल रखी है।

3.8.23

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना (अपनी सं. 4) के द्वारा प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 व द्वारा 151 जा. पी० का पेश किया जिसका आदेश मूल वाद पत्र में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मूल वाद पत्र खारिज किया जा चुका है प्रार्थना पत्र द्वारा 212 2-A वाद का अंग है। वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर अम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा